Dr. Chiranjeev Kr. Thakur
Assistant Professor (GT)
Department of Sociology
VSJ college RajNagar

BA Part II (H)

Paper III

Lecture II

अनुसूचित जाति (परिभाषाएं) :- अनुसूचित जाति को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है.

प्रो० जे.एस. दुबे (Caste, class and Occupation) के अनुसार, " अतः अनुसूचित जातियों को मैं उन समूहों के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ जिनका नाम इस समय लागू अनुसूचित जातियों के आदेश में है।"
जे.एस. दुबे ने अनुसूचित जातियों को समूह के रूप में आदेश के अंतर्गत रखे हैं।

प्रो० डी. एन मजूमदार (Races and cultures of India) के अनुसार, " अनुसूचित जातियां वे हैं जो बहुत सी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित रही हैं जिनमें से अधिकांश

2020-7-23 10:22

निर्योग्यताओं को परम्परा अथवा धर्म द्वारा निर्धारित करके उन्हें उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया।

डा० के.एन. शर्मा के अनुसार," अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़ें।"

हट्टन ने कुछ ऐसी निर्योग्यताओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर अस्पृश्य जातियों के निर्धारण का प्रयास किया गया, जो इस प्रकार है—

1. उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हो।
2. सवर्ण हिन्दुओं की सेवा करने वाले नाइयों, कहारों तथा दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य हो।
3. हिन्दुओं के मन्दिरों में प्रवेश प्राप्त करने के अयोग्य हो।
4. सार्वजनिक सुविधाओं (पाठशाला, सड़क तथा कुएँ) का उपयोग करने के अयोग्य हो।
5. दूषित पेशे से पृथक होने के अयोग्य हो।

2020-7-23 10:22